

दी उदयपुर महिला अरबन को-ओपरेटिव बैंक लि
21-22 हिरनमगरी सेक्टर 3, उदयपुर ३१३००२

रिकार्ड नष्ट करने बाबत आम सूचना

दी उदयपुर महिला अरबन को-ओपरेटिव बैंक लि के समस्त ग्राहकों / सदस्यों / हितार्थी आदि सभी व्यक्तियों के लिए आम सूचना

- 1- को-ओपरेटिव बैंक (रेकॉर्ड सुरक्षित रखने का समय) नियम 1984 साथमे बैंकिंग रेग्युलेशन अधिनियम 1949 की धारा 56, 45y एवं 45z (रेकॉर्ड सुरक्षित रखने का समय) का संदर्भ लेवे ।
- 2- पीएमएलआर अधिनियम 2002 नोटिफिकेशन रूल 3 । नोटिफिकेशन के अनुसार : भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के रेविन्यू विभाग के द्वारा प्रकाशीत , नोटिफिकेशन 13/2009 धारा 6 का संदर्भ लेवे ।
- 3- इंकम टैक्स अधिनियम 1961 , धारा 271(1) एवं 148 जो रेकॉर्ड को सुरक्षित रखने के संबद्ध हे, का संदर्भ लेवे ।
- 4- डीपोसीटोर एडुकेशन अँड अवरेनेस फंड स्कीम -2014 चेपटर -2 क्लॉज़ 3 की उपधारा 8 का संदर्भ लेवे ।
- 5- सर्विस टैक्स एक्ट नियम 1994 के नियम 5 का संदर्भ लेवे ।
- 6- एम्प्लॉईस प्रोविडेंट फंड अँड मिस्लेनियस प्रोविसन एक्ट 1952 धारा 42 का संदर्भ लेवे ।
- 7- दी पेमेंट आफ बोनास अक्ट 1956 धारा 26 रूल 4 का संदर्भ लेवे ।

हम निम्न लिखित पुराना रिकार्ड जो कि उपरोक्त नियमों व अधिनियमों में वर्णित अधिकतम अवधि से ज्यादा पुराने हे, को नष्ट करने कि कार्यवाही करने जा रहे हे :-


“जमा-उधार वाउचर, समस्त स्कॉल, सभी प्रकार कि खाता बहियाँ, पत्र व्यवहार फाईल, सभी प्रकार के निगोसियबल प्रपत्र, निरीक्षण व सलग्न प्रपत्र, रजिस्टर एवं रिकार्ड।”

इस संदर्भ में हम समस्त ग्राहकों, सदस्यों, एवं हितार्थी आदि को सूचित करते हे कि उन्हे कोई एतराज हे या उनका कोई केस लंबित हे या उनके खाते के रिकार्ड से संबन्धित कोई विवाद अन्य व्यक्तियों के साथ हे या न्यायालय अथवा अन्य अथॉरिटी में विचारधीन हे तो वे संबन्धित रिकार्ड को संरक्षित करने हेतु अथवा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु **बैंक की सम्बंधित शाखा मे** आवेदन / सूचना कर सकते हे।

यदि इस सूचना के 15 दिन तक कोई एतराज या सूचना प्राप्त नहीं होती हे तो बैंक नियमानुसार पुराने रिकार्ड को नष्ट करने कि कार्यवाही करेगा।

दिनांक 6/12/2024

स्थान उदयपुर



मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रती:- सभी शाखाओ के सूचना पट एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ,